मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01, जयपुर महानगर द्वितीय।

पीठासीन अधिकारी : शिव कुमार (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

मो0 दु0 मु0 प्र0 सं0: 69/2020, सीआईएस सं.–285/2020

1– श्रीमती लोतिका देवी उर्फ लतिका पत्नी स्व. श्री गोतम कुमार विश्वास, आयु 50 वर्ष

2– किशोर पुत्र स्व. श्री गोतम कुमार विश्वास, आयु 20 वर्ष

3– संदीप पुत्र स्व. श्री गोतम कुमार विश्वास, आयु 18 वर्ष, निवासीयान–सूकालोनी, पोस्ट ऑफिस के सामने,विराट नगर,जिला जयपुर।

———याचीगण/ प्रार्थीगण

बनाम

1– पप्पू कुमार माली पुत्र श्री ग्यारसीलाल माली, निवासी– वॉर्ड नंबर–02, मनोहरपुरा, तहसील मनोहरपुरा, जिला जयपुर।
चालक वाहन नंबर–RJ-40-CA-2295

2– कैलाश चन्द पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर, निवासी– ग्राम रघुनाथपुरा (तालुका बास) तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
वाहन स्वामी वाहन नंबर– RJ-40-CA-2295

3– रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.,क्षेत्रीय कार्यालय– 607–611, विजेसिटी पॉइन्ट, सुभाष मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
बीमा कंपनी वाहन नंबर– RJ-40-CA-2295
पॉलिसी नंबर– VPC0976081000100
बीमा अवधि दिनांकः 21.04.2018 से 20.04.2019 तक।

———अयाचीगण/अप्रार्थीगण

याचिका अन्तर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधि0 1988

उपस्थित :–

1– श्री रामावतार गुर्जर,वि0 अधिवक्ता–याचीगण पक्ष।

2– अयाची संख्या– 1 अनुपस्थित।

3–एकपक्षीय कार्यवाही–अयाची संख्या–2 पक्ष।

4– श्री जे के अग्रवाल, वि0अधिवक्ता– अयाची संख्या–3 पक्ष।

:: नि र्ण य :: **दिनांक : 07.05.2026**

1. याचीगण/प्रार्थीगण श्रीमती लोतिका देवी उर्फ लतिका व अन्य ने दिनांकः 18.11.2018 को मोटर दुर्घटना में चोटग्रस्त होने के कारण गोतम विश्वास की मृत्यु होने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति हेतु यह आवेदन–पत्र दिनांकः 17.02.2020 को अयाचीगण पप्पू कुमार, कैलाश चन्द व रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के खिलाफ पेश किया है।

2. याचीगण/प्रार्थीगण श्रीमती लोतिका देवी उर्फ लतिका व अन्य ने दुर्घटना के परिणामस्वरूप गोतम विश्वास की मृत्यु हो जाने,वक्त दुर्घटना मृतक गोतम विश्वास की उम्र 52 वर्ष होना व मेड़िकल में प्राईवेट प्रेक्टिस करके 40,000/– रूपये मासिक आय अर्जित करना बताते हुए कुल 85,00,000/– रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु यह क्लेम याचिका प्रस्तुत की है। याचीगण द्वारा अपनी याचिका में अंकित किया गया है कि दिनांकः 18.11.2018 को प्रार्थिया के पति श्री गोतम कुमार विश्वास एवं उसके पुत्र संदीप विश्वास दोनों अपनी मोटरसाईकिल नं.RJ-32-M-7542 से विराटनगर से पावटा सकुन्त रिसोर्ट में अपने पुत्र की सगाई के प्रोग्राम की व्यवस्था देखने जा रहे थे, उनके साथ मृतक के छोटे भाई का लड़का भी दूसरी मोटरसाईकिल से जा रहे थे ज्यों ही जयपुर–दिल्ली रोड़ पर राजपुरा ढ़ाबा के सामने पहुँचे तो अपनी मोटसाईकिल को रोड़ के साईड़ में खड़ी करके पीछे आ रहे अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था कि उसी समय सामने शाहपुरा की ओर से एक वेगनार कार नं. RJ-40-CA-2295 के चालक ने अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर सामने से गलत दिशा में आकर प्रार्थिया के पति के टक्कर मारी जिससे प्रार्थिया के पति श्री गोतम कुमार विश्वास रोड़ पर गिर गया, जिससे प्रार्थिया के पति के शरीर पर प्राण घातक चोटें कारित हुई, जिनकी एस एम एस अस्पताल में मृत्यु कारित हो गई। यह दुर्घटना वेगनार कार नं. RJ-40-CA-2295 के चालक के द्वारा अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के कारण घटित हुई है। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना प्रागपुरा में एफ आई आर नं. 519/2018 अपराध अंतर्गत धारा–279,304ए. में दर्ज किया जाकर

बाद अनुसंधान चालक विपक्षी संख्या–1 के विरूद्ध आरोप–पत्र पेश किया गया है। अयाची संख्या–1 उक्त कार का चालक है, अयाची संख्या–2 पंजीकृत स्वामी है तथा अयाची संख्या–3 बीमा कंपनी के यहॉ उक्त वाहन बीमित था। इस प्रकार अयाची संख्या–1,2 व 3 क्षतिपूर्ति हेतु संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से जिम्मेदार हैं।

3. अयाची संख्या–2 की तामील लौटकर नहीं आने,एक माह का समय हो जाने व उसके अनुपस्थित होने के कारण दिनांकः 28.07.2020 को अयाची संख्या–2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए गए।

4. अयाची संख्या–1 की तामील लौटकर नहीं आने, एक माह का समय हो जाने व उसके अनुपस्थित होने के कारण दिनांकः 07.10.2025 को अयाची संख्या–1 की अनुपस्थिति दर्ज की गई।

5. अयाची/विपक्षी सं.–3 बीमा कंपनी की ओर से जवाब याचिका पेश कर याचीगण की याचिका के कथनों को अस्वीकार कर अतिरिक्त कथनों में अभिकथन किए गए हैं कि उक्त वाहन कार संख्या–RJ-40-CA-2295 के विरूद्ध अनेक न्यायालयों में अनेक दुर्घटना दावे चल रहे हैं। उक्त कार से इतने कम समय में इतनी दुर्घटनाऍ कारित होना तथा इतने क्लेम प्रस्तुत होना शंका उत्पन्न करता है कि उक्त वाहन को मिथ्या रूप से बार–बार दुर्घटना में लिप्त किया जाकर बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाये जाने का प्रयास किया जाता है। दुर्घटना की प्र सू रि 15 दिन बाद गलत तथ्यों के आधार पर सोचकर मिथ्या रूप से दर्ज करवाई गई है, वाहन स्वामी बीमित ने उक्त दुर्घटना की कोई सूचना बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुरूप बीमा कंपनी को नहीं दी है, बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने से बीमा कंपनी का कोई क्षतिपूर्ति अदायगी का दायित्व नहीं बनता है। अयाची ने याचीगण की याचिका भारी व्यय के साथ खारिज किए जाने की प्रार्थना की है।

6. पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित तनकीयात विरचित किये गये :–

1– आया प्रश्नगत वाहन सं.– RJ-40-CA-2295 के चालक विपक्षी

संख्या–01 के द्वारा दिनांकः18.11.2018 को दिन में 10:00–10:30 पी एम बजे के लगभग जयपुर दिल्ली रोड़ पर राजपूत ढ़ाबे के सामने, थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर पर उक्त वाहन को उपेक्षा/उतावलेपन से चलाकर की गई दुर्घटना के परिणामस्वरूप गोतम विश्वास की मृत्यु कारित हुई ?

–प्रार्थी

2– आया उक्त वाहन चालक उक्त वाहन स्वामी विपक्षी संख्या–02 के नियोजन में होकर उसी के हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था ? **–प्रार्थी**

3– आया विपक्षी संख्या–03 बीमा कंपनी अपने लिखित कथन की प्रारंभिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्‌देनजर बीमा कंपनी अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है,नहीं तो इसका प्रभाव ? **–अप्रार्थी नं.3**

4– आया दावेदार अपने दावे में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि पा सकते हैं? हॉ तो दावेदार,कितनी राशि,किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकते हैं?

7. याचीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपनी मौखिक साक्ष्य में ए.ड़.–1 किशोर कुमार, ए ड़–2 संदीप कुमार व ए ड़–3 बिजोन बिस्वास के कथन लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–25 विभिन्न दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गए।

8. अयाची बीमा कंपनी की ओर से एन ए ड़–1 दीपेन्द्र सिंह के बयान कराए गए हैं तथा प्रदर्श एन ए–1 लगायत प्रदर्श एन ए–4 दस्तावेजात पेश किए गए हैं।

9. बहस अन्तिम सुनी गई,पक्षकारान के अधिवक्तागण द्वारा अपनी याचिका व जवाब याचिका में वर्णित तथ्यों को तर्को के रूप में प्रस्तुत किया गया। बहस पर विचार किया गया,तनकीवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार है :–

:: <u>तनकी संख्या– एक</u> ::

10. इस तनकी को साबित करने का प्रभार याचीगण पर है।

11. विद्वान अधिवक्ता याचीगण की ओर से तर्क दिया गया है कि याचीगण के घर में जवान मौत हो जाने, उनका पूरा परिवार सदमे में आ जाने व क्रिया कर्म में व्यस्त होने के कारण एफ आई आर देरी से दर्ज कराई गई है। दुर्घटना कार चालक की लापरवाही से कारित हुई है। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् अयाची संख्या–1 के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत किया है। याचीगण की साक्ष्य के खण्ड़न में अयाचीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। अतः तनकी संख्या–एक याचीगण के पक्ष में निर्णीत की जाएं।

12. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता बीमा कंपनी की ओर से तर्क दिया गया है कि दुर्घटना की एफ आई आर देरी से दर्ज कराई गई है तथा बीमित वाहन को दुर्घटना में झूंठे तौर पर क्लेम प्राप्त करने की नियत से लिप्त किया गया है। प्रश्नगत वाहन के विरूद्ध अनेक न्यायालयों में अनेक दावे चल रहे हैं। प्रश्नगत वाहन को मिथ्या रूप से बार–बार दुर्घटना में लिप्त किया जाकर बीमा कंपनी से क्लेम दिलवाये जाने का प्रयास किया जाता है। केवलमात्र वाहन चालक के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर व वाहन स्वामी द्वारा धारा–133 एम वी एक्ट के नोटिस के जवाब में दुर्घटना से इनकार नहीं किए जाने पर ही प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना में लिप्त नहीं माना जा सकता है। अतः क्लेम याचिका खारिज की जाए।

13. उपरोक्त बहस पर विचार किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

14. जहॉ तक बीमा कंपनी का यह तर्क कि दुर्घटना की एफ आई आर देरी से दर्ज कराई गई है तथा बीमित वाहन को क्लेम लेने के लिए झूंठे तौर पर लिप्त किया गया है, का प्रश्न है।

15. इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र किशोर कुमार ए ड़–1 ने अपनी साक्ष्य में कथन किए हैं कि दिनांकः 18.11.2018 को उसके पिताजी गोतम कुमार व छोटा भाई मोटरसाईकिल नं.RJ-32-M-7542 से विराट नगर से पावटा जा रहे थे, उसके चाचा जी मनीशंकर और बिजोन विश्वास अलग मोटरसाईकिल से पीछे जा रहे थे, उसके पिताजी राजपूताना ढ़ाबा के पास हाईवे पर मोटरसाईकिल साईड़ में लगाकर अपने भाई का इंतजार कर रहे

थे,तभी उसी समय अचानक एक कार वेगनार RJ-40-CA-2295 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उसके पिताजी को, उसके भाई के खड़े के टक्कर मार दी, उसके चाचा जी व भाई पावटा को सरकारी अस्पताल लेकर गए, वहॉ से एस एम एस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया,जहॉ पर उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार के बाद दिनांकः 03.12.2018 को प्रागपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उक्त दुर्घटना कार चालक की तेज गति व लापरवाही पूर्वक कार को चलाने के कारण घटित हुई थी। साक्षी ने अपने कथनों के समथर्न में प्रदर्श–1 एफ आई आर, प्रदर्श–2 चार्जशीट, प्रदर्श–3 एफ आई आर तहरीर, प्रदर्श–4 नक्शा मौका, प्रदर्श–5 पंचनामा, प्रदर्श–6 पी एम आर, प्रदर्श–7 एक्स–रे रिपोर्ट, प्रदर्श–8 फर्द निरीक्षण मोटरसाईकिल, प्रदर्श–9 फर्द जब्ती कार, प्रदर्श–10 फर्द जब्ती कागजात कार, प्रदर्श–11 कार वाहन का विवरण आर टी ओ, प्रदर्श–12 डी एल, प्रदर्श–13 बीमा, प्रदर्श–14 धारा 133 एम वी एक्ट एक्ट का नोटिस, प्रदर्श–15 धारा–134 एम वी एक्ट का नोटिस, प्रदर्श–16 मैकेनिकल मुआयना,प्रदर्श–17 रोजनामचा रपट, प्रदर्श–18 लगायत 25 आयकर रिटर्न आदि दस्तावेजात पेश कर प्रदर्श कराए हैं। अयाची संख्या–3 बीमा कंपनी की जिरह में साक्षी का कथन है वह दुर्घटना के समय मौके पर नहीं था। इस साक्षी ने आगे कथन किए हैं कि दुर्घटना की सूचना उसे दुर्घटना दिवस को 10:00–10:30 बजे के बीच मिली थी, वह सीधा एस एम एस अस्पताल गया था, उसका भाई संदीप एस एम एस अस्पताल आ गया था, संदीप घायल अवस्था में था, उसको पावटा अस्पताल से एस एम एस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, बिजोन व मणिशंकर भी अस्पताल में आए थे, उसे गाड़ी के नंबर का एस एम एस अस्पताल में पता लग गया था। इस प्रकार इस साक्षी को दुर्घटना कारक वाहन के नंबर घटना दिवस को ही पता लग गए थे, इसके बावजूद भी इस साक्षी ने न तो पुलिस को घटना की सूचना दी और न ही कोई एफ आई आर दर्ज कराई। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन का दुर्घटना में लिप्त होना संदिग्ध हो जाता है।

16. साक्षी संदीप कुमार ए ड़–2 का कथन है कि दिनांकः 18.11.2018 को वह अपने पिताजी के साथ मोटरसाईकिल पर पीछे बैठकर विराट नगर से शाकुंत होटल, पावटा अपने भाई की सगाई के लिए देखने जा रहे थे, जैसे ही वे लाड़ा के वास पैट्रोल पम्प, राजपूत होटल के पास पहुॅचे तो पीछे–पीछे उसके चाचा मणिशंकर व चचेरा भाई बिजोन बिस्वास आ रहे थे, वे उनका इंतजार कर रहे थे,तभी एक कार नं.RJ-40-CA-2295 का चालक तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और उनके टक्कर मार दी, जिससे उसके पिताजी व उसके सिर में चोट आई, वह और उसके पिताजी बेहोश हो गए, मणिशंकर व बिजोन ने उन्हें उठाकर पावटा अस्पताल लेकर गए वहॉ से उन्हें एस एम एस अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, उसी दिन उसके पिताजी को मृत घोषित कर दिया गया व उसे भी ड़िस्चार्ज कर दिया गया, दाह संस्कार व क्रियाकर्म में व्यस्त होने के कारण एफ आई आर दिनांकः 03.12.2018 को दर्ज करवाई। इस प्रकार याचीगण की ओर से इस साक्षी को प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने बीमा कंपनी की जिरह में कथन किए हैं कि उक्त मोटरसाईकिल उसके पिताजी चला रहे थे जो ड़िवाईड़र से टकरा गई और रोड़ पर गिरने से उसके पिताजी के सिर में चोट लग गई। इस प्रकार इस साक्षी ने बीमा कंपनी की जिरह में यह कथन किया है कि उक्त मोटरसाईकिल उसके पिताजी चला रहे थे जो ड़िवाईड़र से टकरा गई। इस साक्षी ने बीमा कंपनी की जिरह में आगे यह भी कथन किए हैं कि दुर्घटना होने के बाद उसने पुलिस को फोन नहीं किया था क्योंकि वह बेहोश था, उसे उसी दिन होश एस एम एस अस्पताल में शाम को आ गया था, दुर्घटना किस गाड़ी से हुई इस बात की जानकारी अस्पताल में भर्ती करने की जानकारी उसके चाचाजी मणिशंकर व बिजोन बिस्वास ने बताई थी। साक्षी के इन कथनों से यह जाहिर होता है कि इस साक्षी ने न तो दुर्घटना कारक वाहन को देखा और न ही उसके नंबर देखे। ऐसी स्थिति में इस साक्षी के मुख्य कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

17. साक्षी बिजोन बिस्वास ए ड़–3 ने अपनी साक्ष्य में कथन किए

हैं कि दिनांकः 18.11.2018 को वह अपने चाचाजी के साथ होटल देखने के लिए शंकुत रिसोर्ट पावटा जा रहे थे, उसके चाचाजी व संदीप बिस्वास मोटरसाईकिल से आगे–आगे चल रहे थे, वह उनके पीछे–पीछे चल रहा था,तभी लाड़ा के बांस पैट्रोल पम्प, राजपूत ढ़ाबे के पास पहुँचे तो एक कार नं. RJ-40-CA-2295 का चालक तेज गति व लापरवाही से चलाकर अपनी कार को लाया और उसके चाचाजी व संदीप के टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाईकिल ड़िवाईड़र के टकरा गई, उसके बाद उसके चाचा व संदीप के सिर में चोट आई, वह उनको पर्सनल गाड़ी से पावटा सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहॉ उनको रेफर कर दिया और एस एम एस अस्पताल लेकर गए जहॉ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसने ही गाड़ी नंबर नोट कर संदीप व चाचाजी व अन्य रिश्तेदारों को बता दिया था। अयाची संख्या–3 बीमा कंपनी की जिरह में इस साक्षी का कथन है कि दुर्घना के वक्त वह साथ में ही था। यह कहना सही है कि आगे–आगे उसके चाचाजी मोटरसाईलि चला रहे थे, उनके पीछे वह मोटरसाईकिल चला रहा था, उनकी मोटरसाईकिल ड़िवाईड़र से नहीं टकराई थी। उसके चाचाजी सड़क से नीचे उतार कर खड़े थे तभी एक वैगनआर ने उनके टक्कर मार दी। इस संबंध में यह उल्लेखित किया जाना समीचीन होगा कि साक्षी संदीप कुमार जो कि घटना के समय उसके पिता मृतक गोतम बिस्वास के साथ दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल पर पीछे सवार होना कथन करता है, उसने बीमा कंपनी की जिरह में कथन किए हैं कि '' उक्त मोटरसाईकिल मेरे पिताजी चला रहे थे जो ड़िवाईड़र से टकरा गई।'' जबकि साक्षी बिजोन विस्वास ए ड़–3 बीमा कंपनी की जिरह में कथन करना है कि उनकी मोटरसाईकिल ड़िवाईड़र से नहीं टकराई थी। इस प्रकार साक्षीगण संदीप कुमार ए ड़–2 व बिजोन बिस्वास ए ड़–3 के उपरोक्त कथनों में दुर्घटना किस प्रकार हुई, के संबंध में गंभीर विरोधाभास है। साक्षी बिजोन बिस्वास ए ड़–3 ने बीमा कंपनी की जिरह में आगे यह भी कथन किए हैं कि मोटरसाईकिल का आगे का टायर फूट गया था व रिम में मोड़ आ गया था, मोटरसाईकिल के वेगनार गाड़ी द्वारा पीछे से टक्कर मारी गई थी। इस

साक्षी ने बीमा कंपनी की जिरह में आगे यह भी कथन किए हैं कि वेगनार चालक को लोगों ने मौके पर पकड़ लिया था, अजखुद कहा कि चालक को नहीं पकड़ा था, गाड़ी को पकड़ा था। जहॉ पर दुर्घटना हुई वहॉ पर होटल है,मौके पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई थी। इस संबंध में याचीगण की ओर से घटना दिवस का रोजनचमा प्रदर्श–17 पेशकर प्रदर्श कराया गया है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाईकिल के नंबर अंकित किए गए हैं परन्तु दुर्घटना कारक वाहन के नंबर अंकित नहीं किए गए है। उक्त रोजनामचा के आगे की रोजनामचा रपट भी याचीगण की ओर से पेश नहीं की गई है। जबकि साक्षी बिजोन विस्वास ए ड़–3 ने बीमा कंपनी की जिरह में यह कथन किए हैं कि '' उसी दिन उनका पोस्ट मॉर्टम हो गया था,पोस्ट मॉर्टम के समय पुलिस अस्पताल में आ गई थी,वहॉ पुलिस ने उससे कुछ भी नहीं लिखवाया था और से लिखवाया हो तो वह नहीं बता सकता है। पुलिस को दुर्घटना के बारे में उसने एस एम एस अस्पताल में नहीं बताया था। इस प्रकार यदि इस साक्षी ने दुर्घटना कारक वाहन को देख लिया था तथा उसके नंबरों की जानकारी थी तो इस साक्षी ने मृतक के पोस्ट मॉर्टम के समय पुलिस के एस एम एस अस्पताल में आ जाने के बावजूद भी पुलिस को दुर्घटना कारक वाहन के नंबर क्यों नहीं बताए, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण साक्षी ने अपनी साक्ष्य में नहीं दिया है। इस साक्षी ने बीमा कंपनी की जिरह में आगे यह भी कथन किए हैं कि उसे प्रागपुरा पुलिस ने लगभग दो या तीन दिन बाद पुलिस थाने पर पूछताछ के लिए बुलाया था, प्रागपुरा पुलिस को उसने घटना के बारे में बता दिया था, प्रागपुरा थाने पर वह, उसका चाचा मणिशंकर, किशोर कुमार, संदीप, रोहित, मिहीर गया था। उसके बयान तो पूरे हो गए थे व अन्य के बयान भी लिए थे। परन्तु याचीगण की ओर से दुर्घटना के दो या तीन दिन बाद के कोई पुलिस बयान पेश नहीं किए गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में लिप्तता संदिग्ध हो जाती है।

18. इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी की ओर से साक्षी एन ए ड़–1 दीपेन्द्र सिंह, विधि प्रबंधक, रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेसं कपंनी लि. को

परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी साक्ष्य में कथन किए हैं कि वह रॉयल सुन्दरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी में विधि प्रबंधक के पद पर कार्यरत है, वर्तमान प्रकरण दिनांकः 18.11.2018 को वाहन वेगनार नं. RJ-40-CA-2295 द्वारा दुर्घटना कारित होने व गौतम विश्वास की मृत्यु होने के कारण आया है। इस दुर्घटना का कथन झूंठा है क्योंकि इसी वाहन से उनके कंपनी रॉयल सुन्दरम के विरूद्ध विभिन्न दुर्घटनाओं के बारे में जो दिनांकः12.08.18, 21.2.19, 29.3.19, 18.11.18 व 22.04.18 को घटित होना कथन करते हुए अनेक दुर्घटना दावे पेश किए हैं। इस साक्षी ने इस वाहन से अनेक दुर्घटना होना बताते हुए बीमा पॉलिसी प्रदर्श एन ए–1, इस वाहन से संबंधित प्रकरण व निर्णय की प्रति प्रदर्श एन ए–2 व 3,उक्त वाहन के संबंध में मोटर दुर्घटना प्रकरणों की सूची प्रदर्श एन ए–4, इसके अतिरिक्त एफ आई आर दिनांकः 12.07.24, कैलाश चंद के बयानो की प्रति दिनांकः 6.12.19 जो असल कोटपूतली न्यायालय में पेश है, वाद राजाराम बनाम रॉयल सुंदरम, ममता बनाम रॉयल सुन्दरम, अणची देवी बनमा रॉयल सुन्दरम, लाली देवी बनाम एच डी एफ सी के दावों की फोटो प्रतियॉ व एस आई टी को लिखे पत्र दिनांकः 30.03.22 एवं 6.9.22 की प्रति पेश की हैं। इस प्रकार साक्षी दीपेन्द्र सिंह एन ए ड़–1 की साक्ष्य एवं प्रदर्श– एन ए –2 लगायत एन ए–4 के आधार पर प्रश्नगत वाहन का अलग–अलग समय पर विभिन्न दावे पेश किया जाना जाहिर होता है, जिससे भी प्रश्नगत वाहन का दुर्घटना में लिप्त होना संदिग्ध हो जाता है।

19. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दुर्घटना की एफ आई आर देरी से दर्ज कराए जाने, घटना दिवस के रोजनामचा में दुर्घटना कारक वाहन के नंबर अंकित नहीं होने,पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट के समय पुलिस का एस एम एस अस्पताल में आ जाने व मृतक के परिजनों का अस्पताल में होने के बावजूद भी घटना दिवस को एफ आई आर दर्ज नहीं कराए जाने, घटना के दो–तीन दिन बाद पुलिस थाना प्रागपुरा में याचीगण के हुए बयानों की प्रति पेश नहीं किए जाने, साक्षीगण संदीप कुमार ए ड़–2 का बीमा कंपनी की जिरह में यह कथन कि उक्त मोटरसाईकिल उसके पिताजी चला रहे थे,

जो ड़िवाईड़र से टकरा गई, बीमा कंपनी के साक्षी दीपेन्द्र सिंह एन ए ड़–1 की साक्ष्य व उसके द्वारा पेश किए गए दस्तावेजात के आधार पर व अनुसंधान अधिकारी को साक्ष्य में पेश नहीं किए जाने के कारण केवलमात्र अयाची संख्या–1 के विरूद्ध आरोप–पत्र प्रस्तुत होने व वाहन चालक व स्वामी द्वारा धारा–133/134 मोटर वाहन अधिनियम के नोटिस के जवाब में दुर्घटना से इनकार नहीं किये जाने के आधार पर वाहन नं. RJ-40-CA-2295 को दुर्घटना में लिप्त होना नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार याचीगण दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन की लिप्तता को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं।

20. जहॉ तक किसी फौजदारी प्रकरण के दर्ज होने, आरोप–पत्र प्रस्तुत करने आदि के आधार मात्र पर घटनाक्रम को घटित होना मान लिए जाने के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से जो तर्क दिया गया है, इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **<u>मालाराम बनाम रूपाराम व अन्य ए.सी.टी.सी.2005 पृष्ठ 84</u>**में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसी आशय का न्यायिक मत प्रतिपादित किया है कि अधिकरण अथवा उच्च न्यायालय को ऑख बन्द कर प्रार्थीगण द्वारा दुर्घटना के सम्बन्ध में बताए गए आधारों को केवल इस कारण प्रमाणित नहीं मान लेना चाहिए कि पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात् आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया हो, अनुसंधान के दौरान वाहन चालक–स्वामी ने जवाब में दुर्घटना के तथ्य को स्वीकार कर लिया हो।

21. इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दृष्टांत **<u>राजेन्द्र बनाम ओमप्रकाश व अन्य ए.सी.टी.सी. 2007(1) 91 का पैरा सं. 6</u>** में अभिनिर्धारित किया है कि

> **1. "Repeatedly, this court is noticing the filing of the false cases by unscrupulous and greedy persons. Such persons are abusing the bounty of the law and generosity of the court. Although, the Motor Vehicle Act, 1988 is a social beneficial peace of legislation, but the court should be vegilant that the law is abused by unprincipled people for their selfish interest. The action of the appellant and his ilk should be depreciated in the highest term. Merely because the police had submitted a chargesheet against the driver would not lead to the conclusion that the accident had taken place. In fact ,the finding of the learned Tribunal, The**

Judgement of the Civil Court, would be binding on the Criminal Court. Hence, The Learned Tribunal was justified in directing that the Prosecution. In case Stringent Steps are not taken against those who file false cases before the Learned Motor Accident Claims Tribunals, The Tribunals will be inundated with fabricated cases. The flood of false cases has to be rolled back."

22. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त <u>**सावित्री देवी बनाम रमेश चन्द व अन्य ए.सी.टी.सी. 2006(2) 832**</u> के मामले में भी माननीय उच्च न्यायालय ने इस बिन्दु पर विचार किया है कि मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित अधिकरण में क्षतिपूर्ति राशि को येन–केन तरीके से हथियाने की गरज से गलत व झूॅठे आधारों पर याचिकाएॅ अत्यधिक मात्रा में प्रस्तुत की जा रही है। ऐसी स्थिति में अधिकरणों को प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों, पत्रावली पर आई साक्ष्य का भली प्रकार अवलोकन–विश्लेषण करने के पश्चात् घटना के घटित होने के सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक निष्कर्ष निकालना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टान्त के पैरा सं.5 में यहाॅ तक कहा है कि ऐसे बिल्कुल गलत, झूॅठे एवं फर्जी मामलों में न केवल धारा 340,दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जानी चाहिए बल्कि भारी हर्जे–खर्चे के साथ प्रकरणों को खारिज किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस न्यायिक दृष्टान्त के पैरा सं.5 में अत्यन्त महत्वपूर्ण न्यायिक मत प्रतिपादित किया है।

2. "A proceeding before the Tribunal is a civil proceeding where it is not necessary to prove the case beyond a reasonable doubt, but nonetheless. It is important that the claimant proves his case through cogent and reliable evidence. The Statements of the Claimant cannot be taken as the gospel truth until and unless there is corroborative evidence to support his contention.Such corroborative evidence would be available from the F.I.R. lodged by the Claimant or his relative immediately after the alleged accident, by the submission of the Injury Report, the X-Ray Report, if any, the medical documentation showing his/treatment at a hospital, if any , the bills and vouchers of the medicines bought by the claimant, the testimony of the treating doctor, the Permanent Disability Certificate issued by the Government Medical practitioner and other pieces of the oral and

> **documentary evidence. One of the principles of law is that "men may lies, but circumstances do not ". It is, thus, imperative that the documents should be produced to substantiate one's claim petition. In the absence of these relevant documents or in case these documents are replete with contradictions or lacunae, the Tribunal would be justified in rejecting the claim petition. The tendency to file frivolous cases in order to make a fast buck is increasing day by day. The unscrupulous, the unprincipled and the greedy persons are abusing the beneficial piece of legislation like Moter Vehicle Act to fabricate false cases and to make money. Such tendency are not only harmful for the judiciary, but also for the society. Such practice floods the Tribunal with false cases, adds to the judicial work, wastes the valuable time of the Courts, drags the alleged driver, the owner and the insurance conpany, if any, of the offending vehicle through a long judicious process. Therefore, in order to deal with this menance, a strict view should be taken by the Tribunal. In case it is discovered that an utterly false claim petition has been filed by claimant, then action under section 340 read with section 195 I.P.C. should be taken against the claimant. Exemplary costs should also be imposed on those who abuse the law and process of the Court."**

23. इस प्रकार ऊपर किए गए विवेचन के अनुसार व उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों की रोशनी में इस न्यायालय के विनम्र मत के अनुसार याचीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि दिनांकः 18.11.2018 को दिन में 10:00–10:30 बजे के लगभग जयपुर दिल्ली रोड़ पर राजपूत ढ़ाबे के सामने पुलिस थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर पर वाहन नं. RJ-40-CA-2295 के चालक द्वारा तेजी व लापरवाही से चलाकर यह दुर्घटना कारित की गई हो।

24. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या–एक याचीगण के विरूद्ध एवं अयाचीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

:: <u>तनकी संख्या– दो</u> ::

25. इस तनकी को साबित करने का भार याचीगण पर था। चूॅकि तनकी संख्या–एक के विवेचन से प्रश्नगत वाहन संख्या– RJ-41-GA-1376 का दुर्घटना में लिप्त होना नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में यह विवेचन किए जाने की आवश्यकता नहीं है कि दुर्घटना के समय अयाची संख्या–1 वाहन चालक, अयाची संख्या–2 वाहन स्वामी के नियोजन में होकर उसके

हितार्थ एवं लाभार्थ कार्य कर रहा था। अतः तनकी संख्या–दो इसी प्रकार निर्णीत की जाती है।

:: <u>तनकी संख्या– तीन</u> ::

26. इस तनकी को साबित करने का भार अयाची संख्या–3 बीमा कंपनी पर था। चूँकि तनकी सं.–एक के विवेचन में बीमित वाहन का दुर्घटना में लिप्त होना नहीं पाया गया है, इसलिए इस प्रकरण में अयाची बीमा कंपनी का कोई क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व नहीं पाया जाता है। अतः यह तनकी अयाची संख्या–3 बीमा कंपनी के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

:: <u>तनकी संख्या– चार</u> ::

27. इस तनकी को साबित करने का भार याचीगण पर था। तनकी संख्या–एक व दो याचीगण के विरूद्ध तथा तनकी सं–तीन बीमा कंपनी के पक्ष में उपरोक्त विवेचनानुसार निर्णीत की गई हैं, ऐसी स्थिति में यह बखूबी साबित है कि याचीगण दुर्घटना में आई क्षति के लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि अयाची संख्या–1 लगायत 3 से प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा याचीगण की याचिका विरूद्ध अयाचीगण खारिज किए जाने योग्य है।

28. अतः उपरोक्त प्रकार से इस प्रकरण में तनकी सं.–चार याचीगण के विरूद्ध तथा अयाचीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

29. उपरोक्तानुसार की गई विवेचना के अन्तर्गत याचीगण, अयाची संख्या–1 लगायत 3 से कोई क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं तथा याचीगण की याचिका विरूद्ध अयाचीगण खारिज की जाती है।

30. <u>क्लेम याचिका के निस्तारण में यह पाया गया है कि मुकदमा नं. 0519/2018 पी एस प्रागपुरा, जयपुर ग्रामीण, अंतर्गत धारा–279,337, 304'ए' भा.दं.सं. के तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी नंद लाल जांगिड, ए एस आई, पी एस प्रागपुरा, जयपुर ग्रामीण के द्वारा याचीगण को क्लेम दिलाने के उद्देश्य से गलत रूप से कार नं. RJ-40-CA-2295 को लिप्त किया गया है, वाहन के मालिक व याचीगण से मिलकर याचीगण को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से अनुसंधान किया गया है तथा चालक अयाची संख्या–1 पप्पू कुमार के विरूद्ध धारा–279,337,304'ए' भा दं सं में तथ्यों के</u>

विपरीत अपराध साबित होना बताते हुए नंद लाल, ए एस आई, पुलिस थाना प्रागपुरा, जयपुर ग्रामीण द्वारा गैर जिम्मेदारान रूप से गलत रूप से किये गये अनुसंधान के आधार पर न्यायालय में चालान पेश कर दिया, इसलिये ऐसे अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध उचित कार्यवाही किया जाना न्यायोचित होगा। अतः **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता), राजस्थान, जयपुर** को निर्णय की एक प्रति भेज कर यह आदेश दिया जाता है कि अनुसंधान अधिकारी श्री नंदलाल जांगिड,ए एस आई, पी एस प्रागपुरा, जयपुर ग्रामीण के विरूद्ध उचित कार्यवाही कर अधिकरण को दो माह में अवगत करवाये ताकि भविष्य में झूंठे क्लेम प्राप्त करने के लिये दर्ज करवाये गये मुकदमों में कोई भी अनुसंधान अधिकारी गलत रूप से चालान पेश करने का दुस्साहस न कर सके और अनुसंधान में आम जनता का विश्वास बना रहे।

31. इसके साथ ही उपरोक्त निर्णय की प्रति व प्रदर्श एन ए–4 की प्रति **अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सतर्कता),राजस्थान, जयपुर** को प्रेषित कर वाहन चालक **पप्पू कुमार माली पुत्र श्री ग्यारसीलाल माली, निवासी वॉर्ड नंबर–02, मनोहरपुरा, तहसील मनोहरपुरा, जिला जयपुर** व वाहन स्वामी **कैलाश चन्द पुत्र श्री सुवालाल गुर्जर, निवासी ग्राम रधुनाथपुरा (तालुका बांस), तहसील विराट नगर, जिला जयपुर** के विरूद्ध उचित कार्यवाही कर अधिकरण को दो माह में सूचित करें।

–:: आ दे श ::–

32. परिणामतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका विरूद्ध अयाची संख्या–1 लगायत 3 अंतर्गत धारा–166 मोटर वाहन अधिनियम अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

(शिव कुमार)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01,
जयपुर महानगर–द्वितीय ।

33. यह निर्णय आज दिनाकः 07.05.2026 को मेरे द्वारा विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर,पढकर व हस्ताक्षर कर सुनाया गया।

(शिव कुमार)
न्यायाधीश,
मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण संख्या–01,
जयपुर महानगर–द्वितीय ।